nt>

Title: Need to provide funds to the Government of Bihar for reviving the Bihar State Seeds Corporation.

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : बिहार विभाजन के पश्चात राजस्व का मुख्य स्रोत कृषि ही रह गई है। एक आंकड़े के मुताबिक राज्य में एक करोड़ उन्नीस लाख लघु व सीमांत तरह के कृषक हैं तथा लगभग एक लाख नवासी हजार आठ सौ पैंसठ मध्यम कोटि के किसान हैं। प्रायः वर्ा 1999-2000 में लगभग 125.00 लाख मीट्रिक टन तथा 2000-2001 में बढ़कर 137 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। परंतु इसके बावजूद धान व गेहूं की उत्पादकता राट्रीयता उत्पादकता से कम पाई गई। अस्तु, बिहार राज्य के लिए अनुकूल प्रबेधों के बीज उत्पादन का प्रमुख स्रोत बीज निगम रहा है, परंतु बाद के वर्षों में वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप इसकी स्थिति में ह्रास होता गया और वर्तमान में यह बीज का उत्पादन नहीं कर पाया है।

बिहार राज्य में 10 प्रतिशत प्रमाणित बीज के प्रतिस्थापन दर के हिसाब से 1.90 लाख क्विंटल धान बीज एवं 2.30 लाख क्विंटल गेहूं बीज की आवश्यकता होती है। इस आशय हेतु बिहार सरकार ने परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार को समर्पित किया है जिसमें प्रथम वर्ा में 1,47,123 क्विंटल और 2005-2006 में 3,04,292 क्विंवटल का लक्ष्य रखा गया है।

इस आलोक में आयुक्त, कृषि उत्पादन बिहार पटना द्वारा भारत सरकार के अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग को अपने अर्ध सरकारी पत्र संख्या - 317 दिनांक 21.12.2000 के द्वारा बिहार राज्य बीज निगम को पुनर्जीवित करने हेतु 18 करोड़ रुपए की परियोजना हेतु अनुरोध किया गया है व इसके अलावा रिवाइवल पैकेज बनाने का अनुरोध किया है। लेकिन विशेाज्ञों का दल अभी तक नहीं भेजा गया है। तत्कालीन कृषि मंत्री के इसके पुनर्जीवित करने के उद्घोाणा के बावजूद बिहार राज्य बीज निगम पुनर्जीवित नहीं हो सका।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जाए।